

sir  
Notpress

14.10.19

भादव

BB

आज मिसल तलब के ज.फ. पर मेरे समक्ष उपजुत की गई।  
वादी भय वकील दायर। प्रकरण में पक्षकारों में राजीनामा  
हो जाने से वकील वादी धरणा-चलाना नहीं करते हैं नोटें  
किया हैं अतः प्रकरण में वादी के एक अधिकार सुरक्षित रहते  
हुए कार्यवाही खारिज की जाती है। मिसल फौजदारी शुरू होकर नवर  
से काम हो जाकर दायर हो।

उपस्थंड अधिकारी  
सरवाड़ जिला-अजमेर

